न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2019/28

1. लीलाधर उर्फ महावीर पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम

1. सतवीर पुत्र अमीलाल
2. महेन्द्र कुमार पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चुरू।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 92ए आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री लालचन्द जाट वकील वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 19.08.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88,92ए आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम ग्राम कालू तहसील लूनकरणर के खसरा नम्बर 1051 रकबा 44.19 बीघा व खसरा नम्बर 857 तादादी 10 बिस्वा कुल 45.09 बिस्वा खरीद शुदा संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि खरीद के दिन से कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादगत भूमि तत्कालीन खातेदार सांवलाराम पुत्र गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी कालू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2079 से कय की थी। उक्त विकय पत्र पंजीयक लूनकरनसर से

Scanned by CamScanner

पंजीबद्ध शुदा है। वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से वादी की छोटी उम्र में वादी के परिजनों द्वारा क्रय की थी तब उक्त विक्रय पत्र में वादी का नाम महावीर लिखवाया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादगत भूमि महावीर पुत्र हरदयाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जो आजतक चली आ रही है। रोही मौजा कालू का वर्त मान में भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई बंदोबस्ती कार्यवाही के दौरान पुराना खसरा नम्बर 1051, 857 के नयेखसरा नम्बर 1320, 1101 तादादी 11.40 है० बनाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की गई है।

वादी का वास्तविक नाम लीलाधर है। लीलाधर के नाम से ही वादी के तमाम कागजात आधार कार्ड, वोटर परिचय पत्र, शिक्षा संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज बने है। लेकिन वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड में महावीर के नाम दर्ज होने के कारण वादी को कई प्रकार की कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा ह। इसलिए वादगत भूमि में दर्ज अपना नाम महावीर के स्थान पर लीलाधर उर्फ महावीर पुत्र हरदयाल घोषणा के जरिए दुरूस्त करवाने का हकदार है। जिसके लिए ये दावा पेश किया। प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम लीलाधर ही है। तथा लीलाधर के नाम से ही परिवार एवं गांव के लोग जानते एंव पुकारते हैं। वादगत भूमि तत्कालील खातेदार सांवालाराम पुत्र गणेशाराम से शामलात खाते में एक ही विक्रय पत्र से खरीद की थी। अतः वादी का नाम दुरूस्त किये जाने में कोई आपति नहीं है।

वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 1388 ग्राम कालू एवं फोटो प्रतियां भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत झाड़सर कांधलान, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारतनिर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अंकतालिका 1993, प्रमाण पत्र, प्रशसिति पत्र प्रभारी अधिकारी सघन जन संपर्क अधिकारी, पीपीओ विकास अधिकारी, निवास प्रमाण पत्र विक्रय पत्र एवं जमांबंदी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

2032–35 की पेश की। भूमि धारी पैरोकार राज द्वारा कोई आपति एवं जवाब पेश नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन एवं मनन किया। वादी का समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम लीलाधर ही अंकित है। प्रतिवादीगण 1 व 2 संयुक्त खातेदार है तथा एक ही खातेदार से खरीदशुदा भूमि है। प्रतिवादीगण को वादी का नाम लीलाधर उर्फ महावीर किये जाने में कोई आपति नहीं है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कालू तहसील लूनकरणर के खसरा नम्बर 1051 रकबा 44.19 बीघा व खसरा नम्बर 857 तादादी 10 बिस्वा कुल 45.09 बिघा जिसके बंदोबस्ती खसरा नम्बर 1101 तादादी 0.13 है0 एवं खसरा नम्बर 1320 तादादी 11.31 है0 कुल तदादी 11.44 है0 हिस्सा 1/3 खरीद शुदा संयुक्त खातेदारी भूमि वर्तमान रिकार्ड में वादी का नाम महावीर पुत्र हरदयाल के स्थान पर लीलाधर उर्फ महावीर पुत्र हरदयाल दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तदनूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : शिवपाल जाट आरएएस

लीलाधर उर्फ महावीर **बनाम** सतवीर आदि

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 28/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री लालचन्द जाट** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम कालू तहसील लूनकरणरसर के खसरा नम्बर 1051 रकबा 44.19 बीघा व खसरा नम्बर 857 तादादी 10 बिस्वा कुल 45.09 बिघा जिसके बंदोबस्ती खसरा नम्बर 1101 तादादी 0.13 है0 एवं खसरा नम्बर 1320 तादादी 11.31 है0 कुल तदादी 11.44 है0 हिस्सा 1/3 खरीद शुदा संयुक्त खातेदारी भूमि वर्तमान रिकार्ड में वादी का नाम महावीर पुत्र हरदयाल के स्थान पर लीलाधर उर्फ महावीर पुत्र हरदयाल दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- .... बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-............... .... को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक ...19/8/19... को डिक्री जारी की गई।

19/8/19

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner